भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 69

सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

कोविड-19 के दौरान श्रमिकों का पलायन

69. श्रीमती प्रमिला बिसाई:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोविड-19 महामारी के दौरान वापस घरों की ओर पलायन करने वाले श्रमिकों/उनके परिवारों की संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा-सुविधा उपलब्ध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार पलायन करने वाले परिवारों को नकद सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): भारत ने, एक राष्ट्र के रूप में, कोविड-19 के प्रकोप के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित मानवीय संकट तथा देश-व्यापी तालाबंदी के विरुद्ध राष्ट्र की लड़ाई में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, स्व-सहायता समूहों, निवासी कल्याण एसोसिएशनों, चिकित्सा स्वास्थ्य व्यावसायियों, स्वच्छता कामगारों के साथ-साथ बड़ी संख्या में प्रामाणिक एवं वास्तविक संगठनों के माध्यम से कार्य किया है। विवरण संलग्न है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपने निवास स्थानों को लौट आए प्रवासी कामगारों के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की हैं। इनमें से एक योजना आंगनवाड़ी सेवाएं हैं जो प्रवासी कामगारों के बच्चों के लिए विस्तारित की गई है।

न केवल गरीबों और प्रवासी कामगारों बल्कि उनके परिवारों/आश्रितजनों के लिए भी सतत रूप में राहत उपाय सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने वैश्विक महामारी, कोविड-19 के उपशमन हेतु गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत 1.70 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। राहत पैकेज

जारी-2/--

की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) बीमा योजना के अंतर्गत कोविड-19 से लड़ने वाले प्रति स्वास्थ्य कामगार को 50 लाख रुपये का बीमा छत्र प्रदान करना।

(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सभी लाभार्थियों में 80 करोड़ लोगों को नवंबर, 2020 तक प्रत्येक माह अतिरिक्त 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो इच्छित दालें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(iii) 20.65 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को तीन माह तक 500/- रुपये प्रतिमाह की नकद सहायता दी गई है। महिला जन धन खाता धारकों को तीन किस्तों में 10,325 करोड़ रुपये, 10,315 करोड़ रुपये और 10,312 करोड़ रुपये क्रेडिट किए गए हैं।

(iv) उज्जवला योजना के अंतर्गत पंजीकृत 8 करोड़ गरीब परिवारों को अगले तीन माह तक 1 गैस सिलेण्डर प्रति परिवार प्रतिमाह नि:शुल्क मिलेगा।

(v) मनरेगा मजदूरी को 182/- रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 202/- रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है, जिससे 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।

(vi) 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब नि:शक्तों को 1000 रुपये प्रति व्यक्ति की अनुग्रह वित्तीय सहायता दी जाएगी। लगभग 2.81 करोड़ वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं और नि:शक्त व्यक्तियों को दो किस्तों में 2814.5 करोड़ रुपये संवितरित किए गए।

(vii) 8.94 करोड़ लाभार्थियों को पीएम-किसान योजना की पहली किस्त के भुगतान के निमित्त 17,891 करोड़ की अग्रिम अदायगी की गई।

(viii) 100 से कम कामगारों वाले प्रतिष्ठान में 15000/- रुपये प्रतिमाह से कम आय वाले मजदूरी-अर्जकों को अगले तीन माह तक उनकी मासिक मजदूरी 24% प्रति व्यक्ति, प्रतिमाह उनके पीएफ खातों में दिया जाएगा।

(ix) उपकर निधि से 2.03 करोड़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों को 5000 करोड़ रुपये (लगभग) की नकद सहायता दी गई है।

(x) उपकर निधि से 30 लाख भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों को खाद्य पैकेज राहत भी दी गई है।

* *******

अनुबंध

दिनांक 14.09.2020 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	अपने गृह राज्य लौट चुके प्रवासी कामगारों की संख्या *
1	आंध्र प्रदेश	32571
2	अण्डमान और निकोबार	-
3	अरुणाचल प्रदेश	2871
4	असम	426441
5	बिहार	1500612
6	चंडीगढ़	-
7	छत्तीसगढ़	-
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	43747
9	दिल्ली	-
10	गोवा	-
11	गुजरात	-
12	हरियाणा	1289
13	हिमाचल प्रदेश	-
14	जम्मू और कश्मीर	48780
15	झारखंड	530047
16	कर्नाटक	-
17	केरल	311124
18	लद्दाख	50
19	लक्षद्वीप	456
20	मध्य प्रदेश	753581
21	महाराष्ट्र	182990
22	मणिपुर	12338
23	मेघालय	4266
24	मिजोरम	-
25	नगालैंड	11750
26	ओडिशा	-
27	पांडिचेरी	1694
28	पंजाब	515642
29	राजस्थान	1308130
30	सिक्किम	-
31	तमिलनाडु	72145
32	तेलंगाना	37050
33	त्रिपुरा	34247
34	उत्तर प्रदेश	3249638
35	उत्तराखंड	-
36	पश्चिम बंगाल	1384693
	कुल	**10466152**

*आदिनांक यथा उपलब्ध।

****